भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1938
11 दिसंबर, 2025 को उत्तर देने के लिए

राजस्थान में पीएमएफएमई योजना

1938. श्री राहुल कस्वांः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राजस्थान में पापड़, बड़ी, अचार, मसाले, नमकीन और अन्य पारंपरिक खाद्य उत्पादों के उत्पादन में संलग्न सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को औपचारिक रूप प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना या अन्य योजनाओं के तहत कोई विशेष सहायता कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) राजस्थान में ऐसे सूक्ष्म खाद्य उद्यमियों की संख्या का जिलावार ब्यौरा क्या है जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग और बाजार-लिंकिंग संबंधी सहायता प्राप्त हुई है;

(ग) क्या राज्य में पारंपरिक खाद्य उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए एफपीओ क्लस्टर मॉडल, क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण या एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) के तहत किसी विशिष्ट उत्पाद की पहचान की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ई-कॉमर्स ऑनबोर्डिंग, एफएसएसएआई, बारकोडिंग और निर्यात हैंडहोल्डिंग के माध्यम से बड़े बाजारों तक पहुँचने के लिए राजस्थान के पारंपरिक सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफ़पीआई) राजस्थान सहित देश में नए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम शुरू करने / उन्हें अपग्रेड करने के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यापार सहायता देने के लिए एक केंद्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना" लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में सूक्ष्म-उद्यम की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और क्षेत्र के उन्नयन को बढ़ावा देना है। पीएमएफ़एमई स्कीम के तहत

पापड़, बड़ी, अचार, मसाले, नमकीन सहित अलग-अलग उत्पाद बनाने में लगे सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को मिलने वाली वित्तीय सहायता का विवरण **अनुबंध-I** में हैं।

(ख): राजस्थान राज्य के लिए, कोटा जिले में मसालों में संलग्न 6 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को पीएमएफएमई योजना के तहत राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) के माध्यम से ब्रांडिंग और मार्केटिंग सहायता का लाभ मिला है।

(ग): इस स्कीम के तहत, राजस्थान राज्य में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम को बढ़ावा देने के लिए 33 ज़िलों के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) की पहचान की गई है, जैसा कि **अनुबंध-II** में विवरण में दिया गया है। राज्य में पारंपरिक खाद्य उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए, योजना के विभिन्न घटकों के तहत फ़ायदे पाने के लिए ओडीओपी आधारित खाद्य प्रसंस्करण सूक्ष्म उद्यमों को प्राथमिकता दी जाती है।

(घ) पीएमएफएमई स्कीम के ब्रांडिंग और मार्केटिंग घटक के तहत, एफपीओ/एसएचजी/सहकारी समितियों के समूह या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को कॉमन ब्रांड विकसित करने के लिए, जिसमें गुणवत्ता नियंत्रण, मानकीकरण, पैकेजिंग और उपभोक्ता खुदरा बिक्री के लिए खाद्य सुरक्षा मानदंडों का पालन करने का प्रावधान होता है, पात्र परियोजना लागत के 50% तक के अनुदान के साथ सहायता दी जाती है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तर हेतु "राजस्थान में पीएमएफएमई योजना" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1938 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफ़एमई) योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता का विवरण निम्नलिखित है:

(i) *व्यक्तिगत/समूह श्रेणी सूक्ष्म उद्यमों को सहायता:* पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी, अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये प्रति इकाई;

(ii) प्रारंभिक *पूंजी के लिए स्वयं सहायता समूहों को सहायता:* कार्यशील पूंजी और छोटे औजारों की खरीद के लिए खाद्य प्रसंस्करण में लगे स्वयं सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को 40,000 रुपये की दर से प्रारंभिक पूंजी दी जाएगी, जो प्रति स्वयं सहायता समूह संघ के लिए अधिकतम 4 लाख रुपये होगी।

(iii) सामान्य *अवसंरचना के लिए सहायता:* एफपीओ, एसएचजी, सहकारी समितियों और किसी भी सरकारी एजेंसी को सामान्य अवसंरचना स्थापित करने के लिए सहायता देने के लिए 35% की दर से क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी, जो अधिकतम 3 करोड़ रुपये होगी। सामान्य अवसंरचना क्षमता का एक बड़ा हिस्सा किराये के आधार पर उपयोग हेतु अन्य इकाइयों और आम जनता के लिए भी उपलब्ध होगा।

(iv) *ब्रांडिंग और विपणन सहायता:* एफपीओ/एसएचजी/सहकारिता समूहों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को ब्रांडिंग और विपणन के लिए 50% तक अनुदान ।

(v) *क्षमता निर्माण:* इस योजना में उद्यमिता विकास कौशल (ईडीपी) के लिए प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और उत्पाद विशिष्ट कौशल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संशोधित किया गया है।

*****

अनुबंध- II

दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तर हेतु "राजस्थान में पीएमएफएमई योजना" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1938 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राजस्थान राज्य के लिए एक ज़िला एक उत्पाद (ओडीओपी) की ज़िलेवार सूची

राजस्थान		
क्रम संख्या	**ज़िला**	**ओडीओपी**
1.	अलवर	प्याज आधारित उत्पाद
2.	अजमेर	गुलाब आधारित उत्पाद
3.	बांसवाड़ा	आम आधारित उत्पाद
4.	बारां	लहसुन आधारित उत्पाद
5.	भरतपुर	सरसों आधारित उत्पाद
6.	बाड़मेर	अनार आधारित उत्पाद
7.	भीलवाड़ा	मक्का आधारित उत्पाद
8.	बीकानेर	मोठ (भुजिया , नमकीन, पापड़ स्नैक्स)
9.	बूंदी	चावल आधारित उत्पाद
10.	चित्तौड़	गुड़
11.	चुरू	मूंगफली उत्पाद
12.	दौसा	गेहूं आधारित उत्पाद
13.	धौलपुर	आलू आधारित उत्पाद
14.	डूंगरपुर	आम आधारित उत्पाद
15.	गंगानगर	किन्नू आधारित उत्पाद
16.	हनुमानगढ़	गेहूं आधारित उत्पाद
17.	जालौर	इसबगोल
18.	जयपुर	टमाटर आधारित उत्पाद
19.	जैसलमेर	पौष्टिक मरूद्भिदीय फल (कैर सांगरी)
20.	झालावाड़	संतरे पर आधारित उत्पाद
21.	झुंझुनू	फल आधारित उत्पाद (नींबू)
22.	जोधपुर	जीरा आधारित उत्पाद
23.	करौली	तिल आधारित उत्पाद
24.	कोटा	धनिया आधारित उत्पाद
25.	नागौर	मेथी आधारित उत्पाद
26.	पाली	दूध आधारित उत्पाद
27.	प्रतापगढ़	लहसुन आधारित उत्पाद
28.	राजसमंद	लघु वन उपज (आंवला , जामुन , सीताफल आदि)
29.	सवाई माधोपुर	अमरूद आधारित उत्पाद
30.	सीकर	प्याज आधारित उत्पाद
31.	सिरोही	सौंफ आधारित उत्पाद
32.	टोंक	सरसों आधारित उत्पाद
33.	उदयपुर	लघु वन उपज (आंवला , जामुन , सीताफल आदि)